भारत का संवैधानिक विकास
Constitutional development of India.

1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट / Regulating act 1773
↳ History – ब्रिटिश pm – नार्थ द्वारा – गुप्त समिती या Secret Committee का गठन ↳ 1772

उद्देश्य / Aim
↓
कम्पनी मे भ्रष्टाचार Corruption को खत्म करना

सिफारिस
Recommendation
↳ पर एक अधिनियम / act पास / pass किया गया – Regulating act 1773 के नाम से जाना गया

1* कम्पनी के प्रशासन के सुपरविजन के लिए
For the Supervission of Administration of Company.

दो संस्था – ① निदेशक मण्डल / Board of directors
(इंग्लैण्ड मे) Two bodies ② हितधारकों का मण्डल / Court of Proprietors

② Board of directors (निदेशक मण्डल) – कार्यकाल Tenure
↳ 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष
↓
24 सदस्य – $\frac{1}{4}$ वां भाग / part
प्रतिवर्ष रिटार्य होंगे / $\frac{1}{4}$th member will be Retired
Every years

③ बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया
1st Governor General of Bengal
बंगाल का अन्तिम गवर्नर – "वारेन हेस्टिंग"

rojgar with ankit

④ बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसीडेंसी बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में दे दिया

⑤ गवर्नर जनरल की सहायता के लिये 4 सदस्यो की परिषद
A Council for help of Governor General -

① फिलिप फ्रांसिस
② मानसन
③ बरवैल
④ क्लेवरिंग

⑥ इस अधिनियम/act द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court 1774 में बनाया गया Established

मुख्य न्या०/chief Justice - एलिजा इम्पे
3 अन्य न्या० other Judge -
① लिमैस्टर
② व्हाइड
③ चैम्बर

Supreme Court के खिलाफ privy Council में अपील/Appeal कर सकते हैं

* अभिलेख न्यायालय/Court of Record था

⑦ विना लाइसेंस/without Licenace के -

* निजी व्यापार/Private Business (रोक)
* भारतीय लोगो से उपहार/Gifts (रोक)
* रिश्वत (Bribe) पर रोक लगा दी।

* 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम Act of Suttament 1781]
अन्य नाम - Amending Act 1781 या बंगाल जुडीकेचर अधि० 1781 - (Bengal Judicature act 1781]
उद्देश्य - 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियो को खत्म करना
To Remove the defects of the Regulating act of 1773.

rojgar with ankit

① गवर्नर जनरल के कार्यों मे Supreme Court हस्तक्षेप नही करेगा
Supreme Court will not in the Functions of Governor General.

② कलकत्ता सरकार - बंगाल, बिहार और ओडीशा के लिये कानून बना सकती थी
↳ Can make Laws For Bengal, Bihar, odisa.

③ कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण
Separation of Judiciary and Executive.